

कार्यालय पंजीयक, शिक्षा विभागीय परीक्षाएं, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक : शिविरा / प्रारं / पंविप / 5वीं-8वीं / प्राशिअमू / विविध / 2025

दिनांक : यथा ई हस्ताक्षर

(1) निदेशक,
आर.एस.सी.ई.आर.टी. उदयपुर

(2) संयुक्त निदेशक,
स्कूल शिक्षा, समस्त संभाग

(3) वरिष्ठ निदेशक (आई.टी.)
NIC, शिक्षा संकूल
जयपुर

(4) प्राचार्य,
जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण
संस्थान(डाईट), समस्त

(5) मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी,
समस्त

विषय:- प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा (कक्षा 8), 2025 का संशोधित परीक्षा कार्यक्रम जारी करने बाबत।

प्रसंग :- इस कार्यालय का पत्रांक : शिविरा / प्रारं / पंविप / 5वीं-8वीं / प्राशिअमू / विविध / 2025 दिनांक : 15.02.2025।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत एवं प्रासंगिक दिशा निर्देशों/पत्रों की निरंतरता में प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा (कक्षा 8), 2025 (सामान्य विद्यालय) हेतु तृतीय भाषा संबंधित विषयों की परीक्षा दिनांक : 02.04.2025 को निर्धारित करते हुए तदनुसार संशोधित परीक्षा कार्यक्रम जारी किया जाता है। **मुक बधिर विद्यालयों का परीक्षा कार्यक्रम पूर्व में जारी दिनांक : 15.02.2025 अनुसार ही बिना किसी परिवर्तन के यथावत रहेगा।** सामान्य विद्यालयों के लिए उक्तानुसार संशोधित परीक्षा समयविभाग चक्र संलग्न कर सूचित किया जाता है कि नवीन संशोधित सारणी अनुसार आवश्यक कार्यवाही/व्यवस्थाएं करना सुनिश्चित करने का श्रम करावें।

संलग्न:-उपर्युक्तानुसार (सामान्य विद्यालयों का संशोधित परीक्षा कार्यक्रम)

(नरेन्द्र कुमार सोनी)
पंजीयक,
शिक्षा विभागीय परीक्षाएं
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक : शिविरा / प्रारं / पंविप / 5वीं-8वीं / प्राशिअमू / विविध / 2025
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

दिनांक : यथा ई हस्ताक्षर

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. निजी सचिव, आयुक्त, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
4. निजी सचिव, निदेशक, माध्यमिक/प्रारंभिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
5. निजी सचिव, निदेशक संस्कृत शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
6. शासन उपसचिव, प्रारंभिक शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
7. सचिव मदरसा बोर्ड, राजस्थान, जयपुर।
8. जिला शिक्षा अधिकारी (मु.), मा.शि./प्रा.शि. समस्त।
9. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, समस्त।
10. सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग, प्रारंभिक/माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, बीकानेर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त दिशा-निर्देशों को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करावें।
11. अनुभाग अधिकारी, शैक्षिक/बजट/शाला दर्पण/पी.एस.पी./एस.आई.क्यू.ई. प्रारंभिक शिक्षा विभाग, बीकानेर।
12. रक्षित पत्रावली।

Signature valid

Digitally signed by Narender Kumar
Soni
Designation : District Education Officer
Date: 2025.03.10 15:29:43 IST
Reason: Approved



कार्यालय पंजीयक, शिक्षा विभागीय परीक्षाएं, राजस्थान, बीकानेर

प्रारम्भिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण-पत्र परीक्षा (कक्षा-8), 2025

समय :- सांय 2.00 बजे से सांय 4.30 बजे तक

:- परीक्षा कार्यक्रम (संशोधित) :-

दिनांक	वार	विषय
20 मार्च 2025	गुरुवार	अंग्रेजी (02)
21 मार्च 2025	शुक्रवार	अंतराल
22 मार्च 2025	शनिवार	हिन्दी (01)
23 मार्च 2025	रविवार	रविवार अवकाश
24 मार्च 2025	सोमवार	विज्ञान (07)
25 मार्च 2025	मंगलवार	अंतराल
26 मार्च 2025	बुधवार	सामाजिक विज्ञान (08)
27 मार्च 2025	गुरुवार	अंतराल
28 मार्च 2025	शुक्रवार	अंतराल
29 मार्च 2025	शनिवार	गणित (09)
30 मार्च 2025	रविवार	रविवार अवकाश
31 मार्च 2025	सोमवार	ईदुलफितर अवकाश
01 अप्रैल 2025	मंगलवार	अंतराल
02 अप्रैल 2025	बुधवार	तृतीय भाषा संस्कृत(71) / उर्दू (72) / गुजराती (73) / सिन्धी (74) / पंजाबी (75) / संस्कृतम् (95) (संस्कृत शिक्षा विभाग)

नोट :

- उपर्युक्त परीक्षा कार्यक्रम में कोई परिवर्तन होने पर समाचार पत्र के माध्यम से सूचना दी जावेगी।
- परीक्षार्थी परीक्षा दिनांक एवं समय का पूरा ध्यान रखें।
- दृष्टिहीन, सूर्यमुखी (Albino) तथा मायोपिया (Myopia), सेरीब्रल पाल्सी (Cerebral Palsy), पोलियो (Polio), लकवा/जन्मजात विकलांगता तथा मूक एवं बधिर (Deaf and Dumb) परीक्षार्थियों को आवश्यक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर न्यूनतम 40 प्रतिशत या इससे अधिक विकलांगता पर प्रश्न पत्र हल करने के लिए निर्धारित समय से एक घंटा अतिरिक्त समय तथा 75 प्रतिशत या इससे अधिक विकलांगता पर श्रुतलेखक देय होगा।
- अधिगम अक्षम विद्यार्थियों के लिए Mild Cases में एक घंटा अतिरिक्त तथा Moderate एवं Severe Cases में श्रुतलेखक देय होगा।
- परीक्षा भवन में विभाग द्वारा नियुक्त केन्द्राधीक्षक/वीक्षक/उड़नदस्ते के सदस्यों/निरीक्षकों आदि को तलाशी लेने तथा आपत्तिजनक सामग्री प्राप्त करने का अधिकार होगा। इसमें किसी आपत्ति/मनाही/अन्य उत्पात दुराचरण माना जाएगा।
- परीक्षार्थी अपना नामांक उत्तरपुस्तिका/बुकलेट में निर्धारित स्थान के अलावा और कहीं ना लिखें।
- प्रश्नपत्र/बुकलेट पर निर्धारित स्थान पर परीक्षार्थी को अपना रोल नम्बर लिखना अनिवार्य है।
- परीक्षा कक्ष में केलकुलेटर, मोबाईल फोन, पेजर, डिजिटल डायरी अथवा अन्य इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस ले जाना निषेध है।

Signature valid

Digitally signed by Narendra Kumar
Soni

Designation : District Education Officer

Date: 2025.03.10 15:58:41 IST

Reason: Approved

